**Muniya Devi Vs. Sahdeo Yadav and Others.**

**11.03.2026**

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादिनी की हाजरी है। पुकार पर परिवादिनी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह आपराधिक परिवाद दिनांक 24.06.2025 को दाखिल किया गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले में परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त दो साक्षी खीरू रजक एवं कामदेव रजक का साक्ष्य करवाया है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी मुनिया देवी का मामला साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 18.05.2025 दिन रविवार समय 2 बजे दिन में परिवादिनी अपने घर में थी, उसी समय सहदेव यादव, मनकवा देवी, शंकर यादव, मुन्नी देवी, संजीव यादव, प्रियंका देवी, रंजीत यादव, शंभु यादव, नितीश यादव, बबीता देवी सभी हरवे हथियार लाठी, गेंता, कुदाल, खंती आदि से लैश होकर मिस्त्री के साथ उसके हिस्से की जमीन पर दीवार देने लगा। विरोध करने पर सभी मिलकर कहे कि ''साली, हरामजादी, भोसड़ी, धोबिन तुम हमलोगों को दीवार देने से रोकेगी तो मारकर गांव से उजाड़ देगें। उसके यह कहने पर कि आप अपने जमीन पर दीवार दीजिये सहदेव यादव बोले कि इस हरामजादी को मार कर यही गढ्ढा में गाड़ दो। यह सुनते ही मनकवा देवी उसका बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दी तथा सभी मिलकर उसको लात–मुक्का एवं लाठी से मारने लगे एवं कपड़ा–लत्ता फाड़कर अर्द्धनग्न कर दिये। जब उसका बेटा काम देव रजक बचाने का प्रयास करने लगा तो शंकर यादव लाठी से कामदेव रजक के पैर एवं पीठ पर मारकर वहीं गिरा दिया। हल्ला पर परिवादिनी के पति एवं गवाहन आये और अधिक मार खाने से बचायें।

यहां उल्लेखनीय है कि परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त दो साक्षी खीरू रजक एवं कामदेव रजक का साक्ष्य करवाया है। परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान मे कथन किया है कि सहदेव यादव उसके घर पर आया और मारने लगा तो उसका बेटा बोला कि क्यों मारा तो उसक पर उसके बेटे को भी मारा। सहदेव यादव ने पुलिस को

112 पर सूचना दी तो पुलिस आयी और देखकर चली गयी। जबकि परिवाद पत्र में सहदेव यादव सहित अन्य अभियुक्तो द्वारा भी मारपीट करने का उल्लेख है एवं यह भी कथन है कि उसके पुत्र कामदेव रजक को शंकर यादव ने मारा। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि **सहदेव यादव ने केस किया, उस केस में उसका पति दो दिन जेल मे रहा। उसी मुकदमा से बचने के लिये यह केस किया है।** जांच साक्षी संख्या 1 खीरू रजक ( परिवादिनी के पति) ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसकी पत्नी मुनिया देवी का सहदेव यादव के साथ झगड़ा हुआ था। उसकी जमीन में सहदेव यादव दीवार देकर टीन का चदरा लगा दिया है। जांच साक्षी संख्या 2 कामदेव रजक (परिवादिनी का पुत्र) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी मां मुनिया देवी का सहदेव यादव, मनकवा देवी, शंकर यादव, संजीत यादव, रंजीत यादव, प्रियंका देवी, शंभू यादव, बबीता देवी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। जगह जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। जबकि परिवाद पत्र, परिवादिनी एवं जांच साक्षी संख्या 1 ने कथन किया है कि कामदेव रजक, जो कि परिवादिनी का पुत्र है, उसके साथ भी मारपीट हुयी थी। जब घटना को साक्षियों ने देखा तो, मामले में अन्य स्वतंत्र साक्षियों का साक्ष्य न करवाना गम्भीर संदेह पैदा करता है। अतः मेरे विचार से मामले में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नही है। जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अभियुक्त के विरूद्ध किसी अपराध के करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः यह आपराधिक परिवाद अस्वीकृत (Reject) किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।